राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 783/2016/जयपुर
2. अपील संख्या 784/2016/जयपुर
3. अपील संख्या 785/2016/जयपुर
4. अपील संख्या 786/2016/जयपुर

मैसर्स ट्रस्ट मार्केटिंग,
एफ–58, मालवीया इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर .....प्रत्यर्थी

5. अपील संख्या 2013/2016/जयपुर
6. अपील संख्या 2014/2016/जयपुर
7. अपील संख्या 2015/2016/जयपुर
8. अपील संख्या 2016/2016/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ट्रस्ट मार्केटिंग,
एफ–58, मालवीया इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक .....व्यवसायी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से

दिनांक : 01.05.2018

निर्णय

1. अपील संख्या 783/2016 से 786/2016 अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"व्यवहारी"** कहा जायेगा) द्वारा एवं अपील संख्या 2013/2016 से 2016/2016 विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है। साथ ही विभाग द्वारा भी अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने

के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। प्रस्तुत आठों अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धा.वर्ष	विवादित कर	ब्याज	शास्ति
783/16	312/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	09–10	4960942	3787986	–
784/16	313/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	10–11	4269404	2707370	–
785/16	314/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	11–12	4505538	2273963	–
786/16	315/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	12–13	3580067	1343510	–
2013/16	312/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	09–10	–	–	9921884
2014/16	313/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	10–11	–	–	8538808
2015/16	314/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	11–12	–	–	9011076
2016/16	315/अपील्स–I/आरवएटी	24.09.15	12–13	–	–	7160134

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 22.12.2014 को किया गया। व्यवहारी फर्म द्वारा मोबाईल/सेलफोन एवं एसेसरीज इत्यादि का क्रय विक्रय किया जाता है। जांच पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा मोबाईल फोन के साथ–साथ कम्पोजिट पैक में मोबाइल बैटरी एवं चार्जर की भी बिक्री की गई है जिस पर वैट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ पार्ट–ए के अंतर्गत 4/5 प्रतिशत की दर से कर चुकाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवसायी द्वारा विक्रीत उत्पाद 'मोबाईल बैटरी व चार्जर' अधिनियम की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्टम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तु है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक के सम्पूरित कर निर्धारणों में 10/9 प्रतिशत की दर से अंतर कर का आरोपण किया गया तथा इस क्रम में ब्याज भी आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा कम दर से कर चुकाने को कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी। उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया तथा कर व ब्याज की पुष्टि की है। इन अपीलीय आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर तथा विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर धारा 83 के अंतर्गत अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 की अवधि में व्यवहारी द्वारा मोबाइल फोन की कम्पोजिट पैक में बिक्री की गई है तथा उस कम्पोजिट पैक में मोबाइल फोन के साथ–साथ बैटरी व चार्जर अनिवार्य रूप से दिये जाते हैं। कम्पोजिट पैक में मोबाइल फोन एवं शामिल अन्य आइटम्स यथा बैटरी एवं चार्जर चूंकि मोबाइल फोन को चलाने हेतु आवश्यक उत्पाद हैं जो मोबाइल के पार्ट्स होने के कारण मोबाइल फोन के सोलो पैक (Solo Pack) की कम्पोजिट बिक्री पर अधिनियम की अनुसूची–IV के पार्ट ए की प्रविष्टि 12 के अनुसार 4 या 5 प्रतिशत की दर (कर की दर जैसे कि संबंधित अवधि में प्रचलन में रही) से कर चुकाया है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मोबाइल फोन की बैटरी एवं चार्जर पर अनुसूची–V के अनुसार कर दर 14 प्रतिशत मानते हुए बैटरी एवं चार्जर की आकलित की गई विक्रय राशि पर अन्तर कर तथा ब्याज आरोपित करने के साथ–साथ इसे करवंचना मानते हुए धारा 61 के अंतर्गत शास्ति भी आरोपित की गई है। उन्होंने प्रश्नगत उत्पाद पर कर की दर अनुसूची–IV के अनुसार ही होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये गये कर एवं ब्याज को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

5. व्यवहारी की ओर से यह भी कथन किया गया कि उसके द्वारा मोबाइल फोन राज्य के भीतर ही खरीदे गये हैं तथा जिन पर राज्य का कर (वैट) चुका दिया गया है। विभाग द्वारा ऐसे विक्रेता व्यवहारियों के विरूद्ध भी अभियोग बनाया जाकर अन्तर कर व ब्याज वसूल कर लिया गया है। अतः यदि कम्पोजिट पैक में विक्रय किये गये मोबाइल बैटरी व चार्जर पर करारोपण किया जाता है तो पूर्व बिन्दु पर विक्रेता से वसूल किये गये अन्तर कर का आईटीसी के रूप में समायोजन स्वीकृत किया जाना चाहिये। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह बिन्दु उनके द्वारा उठाया गया था तथा अपीलीय आदेश के पृष्ठ 9 पर बिन्दु संख्या 10 में इसका वर्णन भी किया गया है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया है। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि पूर्व बिन्दु पर चुकाये गये कर की आईटीसी का समायोजन उसे दिया जावे।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नोकिया इण्डिया प्रा0 लि0 (2015) 77 VST 427 (SC) के निर्णय में मोबाइल के बैटरी चार्जर को एसेसरीज माना है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है वह पूर्णतः उचित है। इस संबंध में उन्होंने अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 में व्यवहारी द्वारा कम

कर दर से कर चुकाने को करवंचना मानते हुए जो शास्ति आरोपित की गई थी उसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है, अतः इस संबंध में अपीलीय आदेशों को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करने की प्रार्थना की है।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। मोबाइल चार्जर पर कर दर के संबंध में प्रश्नगत बिन्दु पर राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व में यह निर्णीत किया जा चुका है कि उक्त वस्तु मोबाइल एसेसरीज होने के कारण इस पर अनुसूची–V के अनुसार इस पर कर की दर दिनांक 06.03.2013 से पहले 14 प्रतिशत देय होगी। उक्त संदर्भित निर्णय निम्नानुसार हैं :–

   1. मैसर्स बैस्ट आई.टी. वर्ल्ड (इण्डिया) प्रा0 लि0, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील संख्या 694–696/2016/जयपुर, निर्णय दिनांक 07.06.2017
   2. मैसर्स सेवेक्स कम्प्यूटर लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील संख्या 290/2014/जयपुर निर्णय दिनांक 17.07.2017
   3. मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रोनिक्स प्रा0लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील संख्या 509/2015/जयपुर, निर्णय दि. 27.07.2017
   4. सहायक आयुक्त बनाम मैसर्स इनोवेशन, अपील संख्या 1029/2017/जयपुर निर्णय दिनांक 04.05.2018

8. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. (2015) 77 VST 427 (SC)** के निर्णय में यह स्पष्टतः निर्णीत किया है कि मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन की एसेसरीज ही माना जायेगा। इस संबंध में उक्त उद्धरित निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार उल्लिखित हैं :–

> "19. In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. We further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि मोबाइल फोन चार्जर मोबाइल फोन का पार्ट नहीं है अपितु एक स्वतंत्र उत्पाद है जो कि पृथक से भी बेचा जा सकता है। अतः मोबाइल चार्जर अनुसूची–IV पार्ट–ए की प्रविष्टि संख्या 28 से

आच्छादित नहीं होने के कारण इस पर कर की दर अनुसूची–V के अनुसार ही लागू होगी। राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में भी यही व्यवस्था देते हुए मोबाइल चार्जर पर Residual Rate से करारोपण को उचित माना गया है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 783 से 786/2016/जयपुर के तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय तथा कर बोर्ड के ऊपर उद्धरित किये गये निर्णयों के समान होने के कारण यह निर्णीत किया जाता है कि मोबाइल चार्जर पर कर की दर दिनांक 05.03.2013 तक अनुसूची–V के अनुसार होगी। इस संबंध में आरोपित अन्तर कर तथा ब्याज की पुष्टि करते हुए इस संबंध में अपीलीय आदेश की भी पुष्टि की जाती है।

9. जहां तक मोबाइल बैटरी पर कर दर का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मैराथन इण्डिया लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (एसबी एस. टी.आर संख्या 129/2012) में दिये गये निर्णय दिनांक 02.12.2016 के प्रकाश में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 509–510/2015/जयपुर : सैमसंग इलैक्ट्रोनिक्स प्रा0लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, निर्णय दि. 27.07.2017 में यह निर्णीत किया गया है कि टेबलेट/आईपैड के साथ विक्रय की गई बैटरी पर कर की दर 4/5 प्रतिशत है। उक्त निर्णयों के आलोक में यह निर्णीत किया जाता है प्रस्तुत अपीलों में व्यवहारी द्वारा बिक्री किये गये मोबाइल फोन के साथ में सोलो पैक में विक्रीत मोबाइल बैटरी पर कर की दर 4/5 प्रतिशत (कर दर जैसे की संबंधित अवधि में प्रचलन में रही) है। अतः इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति अविधिसम्मत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में अपीलीय आदेश में कर एवं ब्याज की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से तत्संबंधी अपीलीय आदेश इस सीमा तक अपास्त योग्य है।

10. विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 2013 से 2016/2016/जयपुर में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के अंतर्गत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए समस्त क्रय एवं विक्रय संव्यवहार उनकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट हैं एवं प्रत्यर्थी की इसमें करवंचना की मंशा प्रकट नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC)** के प्रकरण में पारित निर्णय उल्लेखनीय है जिसका मुख्य निर्णयांश निम्न प्रकार है :–

> "So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account

> books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption, penalty cannot be imposed. The penalty levied stands are aside."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CTO Vs Bambino Agro Industires Ltd. (2016) 90 VST 22 (Raj) के प्रकरण में दिये निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

> "14. As noticed earlier, admittedly, it is not a case where the assessee was not paying any tax. The claim was that it falls in the category where rate of tax is applicable @ 4% only whereas the claim of the Revenue was that it is taxable on account of falling in different entry @ 12.5% but admittedly all the transactions stood recorded, disclosed and the respondent-assessee paid due tax @4% on the entire goods. Payment of 4% on the entire turnover has been accepted and admitted by the AO himself, not only that the AO has accepted the entire turnover also.
>
> 15. Taking note of the facts, noticed earlier and the judgments referred to herein before, in my view, merely because a higher rate of tax has been made applicable, does not call for imposition of penalty under Section 61 of the Act. Accordingly, I do not find any perversity or ambiguity in the order impugned so as to call for interference."

11. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण भी वस्तुओं के वर्गीकरण तथा तदनुरूप कर दर मतभिन्नता से सम्बन्धित है तथा विवादित माल के बिक्री संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज होना विवादित नहीं है, अतः उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों के प्रकाश में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश पुष्टि योग्य हैं एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 644 से 647/2017/जयपुर अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

12. व्यवहारी की ओर से आईटीसी के संबंध में उठाये गये बिन्दु के बारे में मनन करने पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा कम्पोजिट पैक में विक्रय किये गये मोबाइल फोन के साथ में विक्रीत बैटरी एवं चार्जर के टर्नओवर को पृथक करके उस पर करारोपण किया है। व्यवहारी द्वारा अधिकांश या कुछ माल राज्य के भीतर वैट चुकाकर खरीद करना बताया गया है परन्तु व्यवहारी के अभिभाषक के कथनानुसार विभाग द्वारा कई मामलों में ऐसे विक्रेता व्यवहारियों पर भी अन्तर कर का आरोपण कर दिया गया है, अतः ऐसे मामलों में उन्होंने विक्रेता द्वारा जमा करवाये गये ऐसे अन्तर कर का आईटीसी के रूप में समायोजन देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि व्यवहारी की ओर से ऐसा कोई प्रमाण सुनवाई के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि विक्रेता व्यवहारियों द्वारा प्रश्नगत संव्यवहारों के संबंध में अन्तर कर वसूल कर राजकोष में जमा करवा दिया गया है तथा उसका

भार क्रेता व्यवहारी द्वारा वहन किया गया है। चूंकि इस बिन्दु पर व्यवहारी की ओर से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः इस पर विचार किया जाना संभव नहीं है तथा इस बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

13. उपरोक्त विवेचनानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें–783 से 786/2016 – मोबाइल बैटरी पर कर एवं ब्याज आरोपण के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं तथा मोबाइल चार्जर पर आरोपित कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं। अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती हैं।

14. विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें – 2013 से 2016/2016 अस्वीकार की जाती हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य